न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद

महेन्द्र सिंह बनाम सुखी देवी

किस्म मुकदमा अपील मु. नं. 02/2018

दिनांक	आज्ञा-पत्र
8/9/18	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/10/18 को पेश हो।
01/10/18	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 27/11/18 को पेश हो।
27/11/18	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/12/18 को पेश हो।
11/12/18	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। बहस पर [illegible] सुनी। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता से [illegible] की जाती है [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] नामान्तकरण [illegible] [illegible] तामील [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/02/2018

महेन्द्र सिंह उम्र 19 वर्ष पुत्र सम्पत कुमार जाति जाट निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर (अपील पेश करते समय अवयस्क उम्र 13 वर्ष होने पर जरिये संरक्षिका माता उर्मिला देवी)

– अपीलांट

बनाम

01. सुखी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी स्व. रतनाराम जाति जाट निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर
02. ग्राम पंचायत, अनोखूं पंचायत समिति धोद जिला सीकर
03. हल्का पटवारी, पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर
04. तहसीलदार, धोद भूमिधारक राजस्थान सरकार

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तकरण सं. 178 दिनांक 20.05.2014 ग्राम पंचायत अनोखू तहसील धोद जिला सीकर बाबत खसरा सं. 111, 112, 118 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर

उपस्थिति–
श्री प्रभातीलाल, वकील अपीलांट की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– /। .12.2025

वकील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "अपीलान्ट अव्यस्क है तथा अपीलान्ट के बड़े दादा रतनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी दीपपुरा चारणान ने अपने कब्जा काश्त खातेदारी हक अधिकार की ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 925 रकबा 4.8600 हेक्टेयर, खसरा सं. 927 रकबा 1.1200 हेक्टेयर, खसरा सं. 928 रकबा 0.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 924 रकबा 5. 0000 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 11.8500 हेक्टेयर में से अपना हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण एवं ग्राम दीपपुरा चारणान वर्तमान तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 111 रकबा 1.4400 हेक्टेयर, खसरा सं. 112 रकबा 1.6300 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.0700 हेक्टेयर में से अपना हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण एवं खसरा सं. 118 रकबा 1.5000 हेक्टेयर में से अपना हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण, उपहार में देकर दिनांक 29.09.2009 को उपहार–प्रलेख अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया था। तत्पश्चात् अपीलान्ट की प्राकृतिक संरक्षिका माता ने उक्त उपहार–प्रलेख का नामान्तकरण दर्ज कर जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम दर्ज करने व रतनाराम का नाम हजब करने के लिए उपहार–पत्र की प्रतिलिपि तत्कालीन हल्का पटवारी को दे दी थी, जिसने नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् जमाबन्दी अपीलान्ट की प्राकृतिक संरक्षिका को देने के लिए कहा था। उक्त हल्का पटवारी ने ग्राम अनोखू की तन में अवस्थित कृषि भूमियों का नामान्तरकरण सं. 972 दिनाक 08.06.2010 को दर्ज किया था एवं गाम पंचायत में दिनांक 10.06.2010 को स्वीकृत किया एवं खसरा सं. 111, 112, 118 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

का नामान्तरकरण भी उसी हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जाना था। जिसने अपीलान्ट की प्राकृतिक संरक्षिका माता को दिनांक 01.07.2010 को ग्राम अनोखू के उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी व ग्राम दीपपुरा चारणान की उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी की प्रति दी। जिसमें से ग्राम अनोखू की उपहार में अपीलान्ट को प्राप्त कृषि भूमियों का नामान्तरकरण सं. 972 दिनाक 10.06.2010 का नोट एवं ग्राम दीपपुरा चारणान की जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में नामान्तरकरण सं. 150 दिनांक 10.06.2010 का नोट लगी हुई जमाबन्दी देकर कहा कि "उपहार–पत्र में वर्णित कृषि भूमियो का नामान्तकरण दर्ज करके ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा लिया है व जमाबन्दियो में भी खातेदारी परिवर्तित कर दी है।" यह कहते हुए किता 2 जमाबन्दियां अपीलान्ट की प्राकृतिक संरक्षिका माता को दे दी इसके पश्चात् अपीलान्ट निश्चित रहा व उपहार में प्राप्त भूमियों को अपनी माता के जरिये, अपने कब्जे में रखकर काश्त करता रहा है। परन्तु प्रार्थी को उक्त कृषि भूमियों के विकास के लिए ऋण की आवश्यकता हुई, तब अपीलान्ट ने मामा रामनिवास को साथ लेकर हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल दिनाक 24.05.2018 को प्राप्त की, तो ज्ञात हुआ– "ग्राम अनोखू की तन में अवस्थित कृषि भूमियों की खातेदारी उपहार–प्रलेख के अनुसार अपीलान्ट के नाम से दर्ज है परन्तु ग्राम दीपपुरा चारणान की भूमि खसरा सं. 111, 112 की जमाबन्दी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट द्वारा उपहार–प्रलेख में प्राप्त भूमि का खाता सुखी देवी पत्नी रतनाराम के नाम से दर्ज है व खसरा सं. 118 में उपहार–प्रलेख में प्राप्त भूमि का खाता रतनाराम पुत्र चिमनाराम के नाम से दर्ज है।" जिसका हल्का पटवारी से कारण पूछा व दिनांक 01.07.2010 की जमाबन्दी की नकल देकर हल्का पटवारी को बताया कि– "नामान्तरकरण सं. 150 दिनांकित 10.06.2010 के द्वारा उपहार–पत्र के अनुसार खातेदारी अपीलान्ट के नाम से दर्ज होने के पश्चात् खातेदारी पुनः रिवर्स कैसे हुई।" तब हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि "वर्ष 2010 मे पदस्थापित हल्का पटवारी द्वारा ग्राम दीपपुरा चारणान की भूमियों के उपहार प्रलेख का नामान्तरकरण ही दर्ज नहीं किया था व उसने नामान्तकरण सं. 150 का जमाबन्दी में गलत रूप से नोट लगाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया था। जबकि नामान्तरकरण सं. 150 रहननामा का नामान्तरकरण था। इसलिए जांच के दौरान यह त्रुटि पाई जाने पर खातेदारी पुनः रतनाराम के नाम कर दी थी व रतनाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 178 के द्वारा खाता उसकी पत्नी सुखी देवी के नाम से दर्ज कर दी।" इस पर अपीलान्ट ने उपहार–प्रलेख की प्रतिलिपि देकर हल्का पटवारी से उपहार–प्रलेख का नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी खसरा सं. 118 की भूमि का नामान्तरकरण तो दर्ज किया जाने पर सहमत हुआ परन्तु खसरा सं. 111 व 112 की भूमि में रतनाराम के स्थान पर सुखी देवी का नाम दर्ज हो जाने के कारण नामान्तरकरण सं. 178 खारिज होने के पश्चात ही उपहार–पत्र का नामान्तकरण दर्ज करने पर सहमत हुआ। जिस कारण नामान्तरकरण सं. 178 दिनांकित 20.05.2014 के विरूद्ध अपील अन्य आधारों के अतिरिक्त इन आधारों पर सादर प्रस्तुत है– योग्य अधीनस्थ हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया व ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं. 178 खिलाफ कानून एवं रूएदाद मिसल है। इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 178 खारिज किया जाकर रतनाराम पुत्र चिमना राम ... वर्ष 2009 में निष्पादित व पंजीकृत उपहार–प्रलेख के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर ... स्वीकृत किया जाना प्रार्थनीय है। खसरा सं. 111, 112 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान में से रतना ... चिमना ने अपना 1/4 हिस्सा का व खसरा सं. 118 में से 1/2 हिस्से का उपहार–प्रलेख दिनांक 29.09.2009 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया था व उसके पश्चात् रतनाराम के खातेदारी अधिकार ही समाप्त हो चुके थे, जिस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान लागू ही नहीं होते थे। अर्थात् मृतक खातेदार रतनाराम अपने जीवनकाल में ही अपने हक अधिकार की सम्पदा का उपहार–पत्र अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड करवा कर कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
... जिला-सीकर

कर चुका था, जिस कारण उत्तराधिकार का नामान्तरकरण सं. 178 प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है, जो कि गलत रूप से दर्ज करके गलत रूप से स्वीकृत किया गया था, जिस कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। योग्य अधीनस्थ हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने से पूर्व ना तो कब्जा की जांच की और ना ही नामान्तरकरण नियमों की पालना की तथा तत्कालीन हल्का पटवारी के इस कृत्य से दुर्भावना भी स्पष्ट झलकती है, जिसने ग्राम अनोखूं की भूमियों का तो नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। परन्तु ग्राम दीपपुरा चारणान की भूमियों का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। जबकि एक ही उपहार–प्रलेख में दोनों गांवों की उक्त कृषि भूमियों अंकित थी। इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने के समय मृतक खातेदार रतनाराम की भूमि ही नहीं थी। क्योंकि उक्त रतनाराम ने अपने जीवनकाल में ही, उक्त कृषि भूमि उपहारस्वरूप अपीलान्ट को देकर उपहार–पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया था। इसलिए उत्तराधिकार का नामान्तकरण दर्ज एवं स्वीकृत किया जा ही नहीं सकता। इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलान्ट को चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.05.2018 को उस समय हुई, जब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल ऋण प्राप्त करने के लिए चाही, तब हल्का पटवारी जमाबन्दी दी उसमें अनोखूं की भूमियों का नामान्तरकरण व खातेदारी तो अपीलान्ट के नाम से होना पाया। परन्तु ग्राम दीपपुरा चारणान के खसरा सं. 118 की जमाबन्दी में रतनाराम व खसरा सं. 111 व 112 की जमाबन्दी में सूखी पत्नी रतनाराम का नाम दर्ज होना पाया, तब हल्का पटवारी से जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं. 178 की नकल दी, जिसमें नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 20.05.2014 को स्वीकृत होना पाया, जिस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। उससे पूर्व जानकारी नहीं थी। इसलिए दिनांक 20.05.2014 से लेकर दिनांक 24.05.2018 तक की अवधि को न्याय हित में कण्डोन किया जाने पर अपील अन्दर मियाद कानूनी मियाद है। अपील माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण से अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति है क्योंकि उसके कब्जा अधिकार खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण सं. 178 रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से गलत व अवैध रूप से दर्ज एवं स्वीकृत हुआ है। जिस कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। जिसके लिए धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना प्रार्थनीय है। अपील उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 111, 112 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर का चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 178 को निरस्त करके, उपहार–पत्र दिनांकित 29.09.2009 के अनुसार खसरा सं. 111, 112, 118की भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करने स्वीकृत किया जाने का तहसीलदार धोद जिला सीकर को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।" अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अ.धारा 96 सीपीसी तथा प्रार्थना–पत्र अ.धारा 5 मियाद अधिनियम अलग–अलग पेश किये गये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 4 पर विधिवत तामी[illegible] रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है। उक्त के वाबजूद अनुपस्थित रहने [illegible] पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने [illegible] के तथ्यों को ही बहस में दोहराकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्राव[illegible] का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 178 दिनांकित 20.05.2014 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान के संबंध में ग्राम पंचायत अनोखूं द्वारा दिनांक 20.05.2014 को भरा जाकर स्वीकार किया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

जिसमें अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। उक्त नामान्तरकरण की सत्यापित प्रति में रतनाराम पुत्र चिमना हि. 1/4 जाति जाट के फौत होने पर उक्त रतनाराम को नाऔलाद बताया जाकर कॉलम सं. 9 में वर्णित रेस्पोंडेंट सं. 1 (सुखी देवी पत्नी रतनाराम हि. 1/4 जाति जाट) के नाम से विरासत का नामान्तरकरण भरा गया था। ग्राम अनोखू में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 925, 927, 928 कुल किता 3 कुल रकबा 6.8500 हेक्टेयर, खसरा सं. 924 रकबा 5.00 हेक्टेयर में से उसके हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण एवं ग्राम दीपपुरा चारणान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 111, 112 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0700 हेक्टेयर में से उसके हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण तथा ग्राम दीपपुरा चारणान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 118 रकबा 1.5000 हेक्टेयर में से उसके हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण का हकत्याग उक्त नामान्तरकरण सं. 178 दिनांकित 20.05.2014 के भरे जाने से पूर्व ही पूर्व खातेदार रतना पुत्र चिमना की ओर से अपीलांट (महेन्द्र सिंह) के पक्ष में दिनांक 29.09.2009 को उपहार–प्रलेख निष्पादित किया गया। उक्त उपहार–प्रलेख में वर्णित खसरा सं. 925, 927, 928, 924 में उक्त उपहार–प्रलेख के अनुसार अपीलांट (महेन्द्र सिंह) के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज हो गया, लेकिन उक्त खसरान के अलावा वर्णित खसरा सं. 111, 112 व 118 में उक्त उपहार–प्रलेख के अनुसार अपीलांट (महेन्द्र सिंह) के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज होने से रह गया। हस्तगत अपील में अपीलांट (महेन्द्र सिंह) की ओर से चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण सं. 178 दिनांकित 20.05.2014 को अपास्त किया जाकर वर्णित खसरा सं. 111, 112 व 118 के संबंध में उक्त उपहार–प्रलेख दिनांकित 29.09.2009 की पालना किया जाने बाबत अनुतोष चाहा है। इस प्रकार से वर्णित नामान्तरकरण में अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से उक्त विवादित नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण भरा गया है। जो कि विधिनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विवादित नामान्तरकरण अपास्त कर तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 178 दिनांकित 20.05.2014 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर के संबंध में ग्राम पंचायत अनोखूं द्वारा दिनांक 20.05.2014 को भरे गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा सं. 111, 112 व 118 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर के संबंध में रतना पुत्र चिमना जाति जाट निवासी दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर के द्वारा अपीलांट (महेन्द्र सिंह) के पक्ष में निष्पादित उपहार–प्रलेख दिनांकित 29.09.2009 के अनुसार खातेदारी अपीलांट (महेन्द्र सिंह) के पक्ष में दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11 .12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)